कार्यालय निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः 643/सात–3/बर्ड फ्लू/कोर ग्रुप बैठक/2017–18 दिनांकः 6-2-2018

शासनादेश सं0 241(1)/37–2–2018–30(93)/05टी0सी0–।।,दिनांक 1–2–2018 के अनुपालन में कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एवियन इन्फ्लूएन्जा(बर्ड फ्लू) की बैठक 10 जनवरी, 2018 का कार्यवृत्त निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3 समस्त मुख्य विकास अधिकारी,उ0प्र0।
4 समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,उ0प्र0।
5 समस्त उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं पशु चिकित्साधिकारी,उ0प्र0।
6 समस्त अधीक्षक, राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र,/प्रयोगशाला,उ0प्र0।

(डा0 ए0एन0 सिंह)
निदेशक
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एवियन इन्फ्लूएन्फजा (बर्ड फ्लू) से होने वाली किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिये दिनॉक 10 जनवरी, 2018 को सायंकाल 5:30 बजे सम्पन्न कोर ग्रुप की बैठक का कार्यवृत्त

1. डा0 सुधीर एम. बोबडे, प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन।
2. श्री दया शंकर सिंह, विशेष सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन।
3. मो0 जुर्वर अली हाशमी, विषेष सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 शासन।
4. श्री ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव, विशेष सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
5. श्री जे0बी0 सिंह, विशेष सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
6. डा0 ए0एन0 सिंह, निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
7. डा0 मिथिलेश चतुर्वेदी, निदेशक, वेक्टर बार्न डिजीजेज, उ0प्र0।
8. श्री रमेश कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. श्री निहालुद्दीन खाँ, संयुक्त सचिव, पर्यावरण, उ0प्र0 शासन।
10. श्री अनिल कुमार, उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
11. श्रीमती नीरजा कुरील, उप–सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. डा0 प्रहलाद बरनवाल, अनु सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन।
13. श्री एल0बी0 सिंह, अनुभाग अधिकारी, पशुधन–2, उ0प्र0 शासन।
14. डा0 डी0के0 निगम, संबद्ध अधिकारी, महानिदशालय, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0।
15. डा0 आर0के0 मिश्र, संयुक्त निदेशक, संचारी, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0।
16. श्री अखिलेश मणि त्रिपाठी, उप आयुक्त मनोरंजन कर, उ0प्र0।
17. श्री ए0के0 सिंह, उप सी0ड्ब्लू0एल0ड्ब्लू0, वन विभाग, उ0प्र0।
18. श्रीमती सुनीता सिंह, राज्य सलाहकार, उ0प्र0
19. डा0 नरेश चन्द्र, राज्य पशु चिकित्सा सलाहकार, उ0प्र0।
20. श्री चन्दशेखर यादव, सम्पादक, सूचना, उ0प्र0।
21. श्री प्रेम प्रकाश उपाध्याय, सहायक निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0।
22. डा0 राजीव, तकनीकी विशेषज्ञ, यू0पी0डास्प, लखनऊ।
23. डा0पी0के0 प्रधान, संयुक्त निदेशक (रोग नियंत्रण), पशुपालन विभाग, लखनऊ।
24. डा0 विनोद कुमार, संयुक्त निदेशक (रोग निदान), पशुपालन विभाग, लखनऊ।
25. डा0 बी0पी0 पाठक, संयुक्त निदेशक (कुक्कुट पैथोलाजी), पशुपालन विभाग, लखनऊ।
26. डा0 अरविन्द कुमार सिंह, उप–निदेशक (संबद्ध मुख्यालय), पशुपालन विभाग, लखनऊ।
27. डा0 वी0के श्रीवास्तव, उप–निदेशक (कुक्कुट), पशुपालन विभाग, लखनऊ।
28. डा0 टोडरमल, उप–निदेशक (कुक्कुट रोग निदान), पशुपालन विभाग, लखनऊ।
29. डा0 विनोद कुमार, उप निदेशक (थनैला), पशुपालन विभाग, लखनऊ।

बैठक के प्रारम्भ में अवगत कराया गया कि एवियन इन्फ्लूएन्जा (बर्ड फ्लू) बीमारी से होने वाली किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिये विभिन्न संबन्धित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए कार्स क्रियान्वयन ससमय सुनिश्चित किये जाने तथा विभागों को इस योजना के प्रति सतर्क रहने हेतु एवं समस्त आवश्यक तैयारियॉ किये जाने हेतु प्रदेश में कोर ग्रूप का गठन किया गया है। कोर ग्रूप की विगत बैठक दि0 06.09.2016 के निर्देशों का अनुपालन से अवगत कराते हुए इस बीमारी के संबन्ध में भारत सरकार से प्रदत्त दिशानिर्देशों के अनुसार बर्ड फ्लू के बारें विस्तार से चर्चा की गयी।

प्रमुख सचिव, पशुधन एवं मत्स्य द्वारा प्रदेश में बीमारी के पूर्व प्रकोपों, इसकी घातकता, जूनोटिक स्वरूप व मानव स्वास्थ्य हेतु उक्त बीमारी से सम्भावित खतरों के बारे में प्रकाश डाला गया एवं अवगत कराया गया कि यद्यपि भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.06.2017 से भारत वर्ष को एवियन इन्फ्लूऐंजा (बर्ड फ्लू) से मुक्त घोषित करते हुए इस बात पर भी जोर दिया गया है कि देश को एवियन इन्फ्लुएन्जा से मुक्त घोषित किये जाने के बावजूद प्रदेश में इस बीमारी के प्रति सतर्कता बनाई

रखी जाय। बीमारी के घातकता एवं वैश्विक विस्तार के दृष्टिगत, इसके नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सतत् सर्विलान्स कार्यक्रम चलाये जाने का सुझाव दिया गया है। जिसके अन्तर्गत विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद से कम से कम 5 सीरम, क्लोएकल एवं ट्रेकिअल सैम्पल एकत्र करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा नियमित रूप से पक्षियों के सीरम, क्लोएकल एवं ट्रेकिअल सैम्पल एकत्र कर टेस्टिंग हेतु आई0वी0आर0आई0, इज्जतनगर, बरेली भेजे जा रहे हैं।

(कार्यवाहीः पशुपालन विभाग)

निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में दिसम्बर, 2017 तक 5998 सीरम सैम्पल एवं 11617 क्लोएकल/ट्रैकियल स्वैब, कुल 17615 सैम्पल परीक्षण हेतु भेजे जा चुके हैं। साथ ही प्रदेश के सभी पोल्ट्री फार्म्स पर आवश्यक बायोसिक्योरिटी सावधानियॉ अपनाये जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। अद्यतन परीक्षण किये गये समस्त सैम्पल बीमारी वायरस हेतु 'निगेटिव' पाये गये है।

(कार्यवाहीः पशुपालन विभाग)

जनपदवार/क्षेत्रवार एकत्रित सैम्पल के प्रस्तुत विवरण में मंडल सहारनपुर जो कुक्कुट पालन में अग्रणी जनपद है, से अनुपातः कम संख्या में सैम्पल एकत्र कर परीक्षण हेतु भेजे जाने को गंभीरता से लिया गया तथा निर्देशित किया गया कि प्रभावी सर्विलान्स के लिये परीक्षण हेतु लिये गये सैम्पल, सम्बन्धित क्षेत्र की कुक्कुट संख्या के समानुपात में होने चाहिये।

(कार्यवाहीः मुख्य पशुचिकित्साधिकारी (सहारनपुर)/अपर निदेषक–ग्रेड–2 (सहारनपुर)/निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग)

बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा आपदा स्थिति (सैम्पल पाज़िटिव होने की अवस्था में) में समन्वय के संबन्ध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में विभिन्न स्तरों यथा मंडल, जनपद स्तरो पर पर्याप्त मात्रा में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पी0पी0ई0) व एण्टीवायरल दवा ''टेमी फ्लू'' उपलब्ध हैं।

(कार्यवाहीः स्वास्थ्य विभाग/पशुपालन विभाग)

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पोल्ट्री मीट सम्बन्धी आउटलेट्स का नियमित अनुश्रवण विभाग द्वारा किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त आपदा स्थिति में टास्क फोर्स सदस्य विभागों द्वारा अपनायी जाने वाली अपेक्षित कार्यवाही का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया।

(कार्यवाहीः खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग/पशुपालन विभाग)

बैठक में अवगत कराया गया कि प्रदेश के समस्त जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्रत्येक जनपद में 5 Rapid Response Team (RRT) के गठन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रत्येक RRT में एक पशुचिकित्साधिकारी, दो पशुधन प्रसार अधिकारी तथा दो पैरावेट्स चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। समस्त जनपदों में टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हो गयी है। जनपदीय टास्क फोर्स के बैठक में अधिकारियों को बर्ड फ्लू की किसी भी आपात की स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी गयी तथा प्रत्येक विभाग को उनके दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गए हैं।

(कार्यवाहीः समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/जिलाधिकारी)

निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जब आई0वी0आर0आई0, इज्जतनगर, बरेली द्वारा किसी भी सैम्पल में बीमारी को पाज़िटिव पाया जाता है तो इस स्थिति मे, अग्रेतर जॉच हेतु सम्बन्धित क्षेत्र से निर्धारित मात्रा में सैम्पल्स तथा पक्षी को हाई सिक्योरिटी एनीमल डिज़ीज लैबोरेटरी (एच.एस.ए.डी. लैब), भोपाल, मध्य प्रदेश भेजा जाना निर्धारित है। एच.एस.ए.डी. लैब परीक्षण परिणाम से भारत सरकार को अवगत कराया जाता है जहॉ से सूचना प्रदेश को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त होती है। बीमारी की पाजिटिव रिपोर्ट होने पर उक्त जनपद में विभिन्न विभागों द्वारा निम्नवत् कार्यवाही अपेक्षित होती हैः–

लोक निर्माण विभाग : गड्ढा खोदने हेतु Earth Digging Machine, Jetting cum Suction Machine, Fogger Machine, Spraying Machine की व्यवस्था के साथ संक्रमित जोन में कल्लिंग हेतु मानचित्र का चित्रण किया जाना। उक्त के साथ–साथ Culling and surveillance क्षेत्र की घेराबन्दी कराना।

वन विभाग : वन क्षेत्र में जंगली/माइग्रेटरी पक्षियों से सम्बन्धित सघन निगरानी कार्य योजना विकसित किया जाना, जंगली/माइग्रेटरी पक्षियों के आवागमन मार्ग की पहचान करना, जल निकायों यथा झील, तालाब, पक्षी अभ्यारण को प्रदेश के मानचित्र में दर्शाना, जंगली/माइग्रेटरी पक्षियों की मृत्यु पर वन विभाग के उच्चाधिकारियों को अवगत करने के साथ स्थानीय प्रशासन एवं पशुपालन विभाग को अवगत कराया जाना, माइग्रेटरी बर्ड्स के आवागमन की जानकारी प्राप्त करना, माइग्रेटरी बर्ड्स द्वारा अधिसूचित वाटर बॉडीज, पक्षी विहार में लगातार जाने के रूट मैप तैयार करना, जंगली/माइग्रेटरी पक्षियों के सर्विलांस सैंपल कलेक्ट करना।

स्वास्थ्य विभाग : मेडिकल RRT का गठन, टीकाकरण, सैनिटेशन हेतु गठित RRT का रेगुलर स्वास्थ्य परीक्षण, मेडिकल RRT हेतु आवश्यक logistic की व्यवस्था, Antiviral Drug की व्यवस्था, RRT के सदस्यों हेतु क्वारंटाइन की व्यवस्था, नियंत्रण एवं रोकथाम से सम्बंधित Cleaning & Disinfection कार्य में सहयोग करना, नियंत्रण एवं रोकथाम से सम्बंधित जागरूकता अभियान में सहयोग करना, मनुष्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा से प्रभावित लोगों के लिए प्रबंधन।

पंचायती राज : विकास खण्ड स्तर पर विभाग से सम्बंधित समस्त कर्मचारियों/स्वयं सेवी संस्थाओं की बैठक आयोजित कर एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रभाव को कम करने के लिए तैयारी किया जाना, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन, RRT सदस्यों के रहने एवं खान–पान की व्यवस्था करना, मुआवजा राशि का भुगतान एवं अभिलेखीकरण, श्रमिकों का भुगतान, मानव शक्ति का प्रबंधन, संक्रमित क्षेत्र में नए पक्षियों को लाये जाने पर प्रतिबन्ध जब तक उक्त क्षेत्र को विसंक्रमित घोषित न कर दिया जाय, गाड़े गए पक्षियों के गड्ढों की सुरक्षा करना, जन जागरूकता, संक्रमित क्षेत्र की घेराबन्दी करना, संक्रमित क्षेत्र में तथा उसके आस–पास के क्षेत्र में चिह्नित स्थानों में स्थायी एवं अस्थायी सूचना पट लगाना, अभियान के पश्चात् यथा आवश्यक सहयोग करना।

पुलिस विभाग : स्थानीय प्रशासन के प्रतिबन्धो को लागू करना, RRT सदस्यों को सहयोग, नियंत्रण एवं रोकथाम की कार्यवाही के समय कानून व्यवस्था बनाये रखना, बर्ड्स फ्लू से प्रभावित पड़ोसी प्रान्तों से पक्षियों एवं सम्बंधित उत्पाद के आने पर रोक लगाना।

राजस्व : सुर्विलांस जोन में कलिंग हेतु मानचित्र का चित्रण किया जाना, संक्रमित क्षेत्र में पक्षियों और अन्य संबंधित उत्पादों को destroy / गाड़े/ निस्तारित किये जाने के लिए खास और अन्य भूमि की पहचान करना।

बी०एस० एफ० : पड़ोसी देश/प्रान्तों से अवैध रूप से पक्षियों एवं सम्बंधित उत्पाद के आवागमन पर रोक लगाना।

पशुपालन : पी०पी०ई० किट एवं फेस मास्क, पक्षियों से सम्बंधित सुचना एकत्र करना, सूचनाओं का अभिलेखीकरण, समस्त सम्बंधित विभागों से समन्वय करना, सीरम सैंपल एकत्रित करना, समस्त सवहपेजपब की ससमय व्यवस्था, नष्ट किये गए पक्षी, अण्डों, फीड एवं अन्य उत्पादों का अभिलेखीकरण, जन जागरूकता के साथ–साथ भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना, कल्लिंग उपरांत भुगतान की कार्यवाही।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि सवंमित क्षेत्र के समस्त पक्षियों को नष्ट करते हुये उनके मालिकों को मुआवज़ा के रूप में 8 सप्ताह से कम के पक्षियों हेतु रू0 20 प्रति पक्षी व 8 सप्ताह से अधिक आयु के पक्षियों हेतु रू0 90 प्रति पक्षी दिये जाने की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की गयी है तथा प्रत्येक वर्ष धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी इस मद में

धनराशि उपलब्ध है, जो न प्रयुक्त होने की स्थिति में अगले वित्तीय वर्ष में हेतु भारत सरकार द्वारा रिवैलीडेट की जायेगी। चर्चा में यह भी प्रकाश में आया कि वर्ष 2008 में प्रदेश में समस्त सबन्धित विभागों के संबन्धित /नामित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराया गया था, परन्तु प्रशिक्षण मद में धनराशि भारत सरकार से उपलब्ध न होने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संपादित नहीं किया जा सका है। इस संबन्ध में अध्यक्ष/कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त धनराशि के अंश अथवा सुसंगत मद से सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पशुपालकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाये।

(कार्यवाहीः निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग)

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त संबन्धित विभागों को सदैव तत्पर रहने अंतर विभागीय समन्वय बनाये रखने तथा आपदा की स्थित में त्वरित कार्यवाही हेतु सदैव तैयार रहने के निर्देश दिये गये तथा इस महत्वपूर्ण बैठक में लोक निर्माण विभाग, राजस्व एवं गृह विभाग का प्रतिनिधित्व न होने पर रोष व्यक्त किया गया।

(कार्यवाहीः लोक निर्माण विभाग/गृह विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ पंचायतीराज विभाग/राजस्व विभाग/पशुपालन विभाग)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

यह कार्यवृत्त कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन द्वारा पत्रावली संख्या 30(93)/05टीसी–।। में दिये गये अनुमोदन के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

डा0 सुधीर एम. बोबड
प्रमुख सचिव, पशुधन,
उ0प्र0 शासन।

उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग–2

संख्या–241/सैंतीस–2–2018–30(93)/05टीसी–।।

लखनऊः दिनांक 01 फरवरी, 2018

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/वन/स्वास्थ्य/गृह/पंचायती राज/राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. संमस्त मण्डलायुक्त।
3. संमस्त जिलाधिकारी।
4. समस्त उपस्थित अधिकारीगण।
5. निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक (प्रशासन एवं विकास), उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक (ग्रेड–2), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी।
9. समस्त उप–मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं पशुचिकित्साधिकारी द्वारा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी।

आज्ञा से

P.B.L

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव